(140)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 2307–पीबीआर/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 20–8–2013 पारित द्वारा नायब तहसीलदार टप्पा मानपुर तहसील डॉ0अम्बेडकरनगर महू जिला इंदौर, प्रकरण कमांक 124/बी–121/2012–13

.....

1–मोहन पिता हरदेव
2–गजेन्द्र पिता नैनसिंह
3–मनोहर पिता रामसिंह
मृतक तर्फे वारिसान रूपसिंह
4–बाबू पिता रामसिंह
5–अनिल पिता ईश्वर
6–सावित्री पिता ईश्वर
सभी निवासी ग्राम नेकपुर जिला धार

..... आवेदकगण

विरूद्ध

कैलाशचन्द्र पिता गप्पूलाल देशवाली (मृतक वारिसानः–)
1–हेमन्त पुत्र कैलाश
2–अनिल पुत्र कैलाश
3–लोकेश पुत्र कैलाश
4–बादीबाई बेवा कैलाश
सभी निवासी मानपुर तहसील महू जिला इंदौर

..... अनावेदक

.....

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक–आवेदकगण

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 15/3/18 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत नायब तहसीलदार टप्पा मानपुर तहसील डॉ0अम्बेडकरनगर महू जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–8–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि उनके स्वत्व एवं स्वामित्व की ग्राम मानुपर स्थित भूमि सर्वे कमांक 395/1/1 एवं 395/1/2 पर आवेदकगण द्वारा फर्जी तरीके से राजस्व अभिलेखों में संशोधन कराकर अपना नाम

दर्ज करा लिया गया है, अतः उक्त संशोधन को दुरूस्त किया जाकर पूर्व की स्थिति कायम की जाये । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 124/बी–121/12–13 दर्ज कर दिनांक 20–8–13 को आदेश पारित कर संशोधन निरस्त किया जाकर पूर्व की स्थिति कायम की गई । तहसील न्यायालय के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी आवेदकगण द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय ने यह समझने में भूल की है कि जब अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक की अपील कमांक 53/अपील/08–09 में दिनांक 20–8–09 को स्वीकार कर राजस्व अभिलेखों में आवेदक का नाम अनावेदक के स्थान पर दर्ज करने का आदेश दिया था, तब ऐसी स्थिति में नायब तहसीलदार को पुनः धारा 32 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पर आदेश पारित करने का वैधानिक अधिकार नहीं था फिर भी उनके द्वारा क्षेत्राधिकार रहित कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा माननीय व्यवहार न्यायालय के दिवानी प्रकरण में पारित स्थगन आदेश का मनमाना निष्कर्ष निकालकर आलोच्य आदेश पारित कर गंभीर त्रुटि की गई है । उनके द्वारा निगरानी स्वीकार की जाकर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस न्यायालय में आवेदक की ओर से द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 द्वारा प्रकरण कमांक 55ए/2014 में पारित आदेश दिनांक 19–1–2018 की प्रति पेश की है । उक्त आदेश के प्रकाश में प्रकरण तहसील न्यायालय को प्रकरण प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह उक्त आदेश के प्रकाश में उभयपक्षों को सुनकर पुनः कार्यवाही करें ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर